जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
(राजस्व शाखा)
(E-mail ID- adcchaibasa@gmail.com)

पत्रांक 95(A) /रा०

प्रेषक,

अपर उपायुक्त–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड, राज्य खाद्य आयोग,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक 15.09.2020

विषय– खूँटपानी प्रखण्ड के ग्राम दोपाई के जन वितरण प्रणाली दुकानदार श्री पिताम्बर तियू द्वारा कार्डधारियों को खाद्यान्न नहीं वितरण करने से संबंधित प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में सुनवाई का आदेश की प्रति का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खूँटपानी प्रखण्ड के ग्राम दोपाई के जन वितरण प्रणाली दुकानदार श्री पिताम्बर तियू द्वारा कार्डधारियों को खाद्यान्न नहीं वितरण करने से संबंधित प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15(5) के तहत विभिन्न तिथियों को सुनवाई कर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आदेश पारित किया गया है।

अतः पारित आदेश की प्रति भवदीय अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

15/9/2020

अपर उपायुक्त–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

अनुलग्नक– यथोक्त।

G:\Latter 2016-17_1.docx

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

अभिलेख संख्याः विविध............/2020

विषयः खूँटपानी प्रखंड के ग्राम दोपाई के जन वितरण प्रणाली दुकानदार श्री पिताम्बर तियू द्वारा कार्डधारियों को खाद्यान्न नहीं वितरण करने के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में सुनवाई।

आदेश का क्रम संख्या एवं दिनांकः	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	प्रस्तुत अभिलेख अध्यक्ष, जिला परिषद, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 15 दिनांक 21.03.2020 द्वारा खूँटपानी अंचल के जन वितरण प्रणाली दुकानदार श्री पिताम्बर तियू अनुज्ञाप्ति संख्या– 15/1985 के द्वारा माह दिसम्बर 2019 से फरवरी 2020 तक 03 माह का खाद्यान्न नहीं वितरण करने संबंधी प्राप्त परिवाद पत्र पर प्रारंभ किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 15(5) के तहत विभिन्न तिथियों पर सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान राशन दुकानदार श्री पिताम्बर तियु, पिता– स्व० तुरन तियु, ग्राम– गम्हरिया, प्रखण्ड– खूँटपानी का पक्ष सुना गया। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल वितरण पंजी के अनुसार उन्हे माह दिसम्बर 2019 में PH एवं अंतोदय कार्ड में कुल 94.90 क्विंटल राशन वितरण हेतु मिला जो सभी कार्डधारियों के लिए था। लेकिन डीलर के द्वारा कुल 416 PH कार्डधारियों के विरूद्ध मात्र 325 कार्डधारियों को राशन वितरण किया गया था। शेष 91 कार्डधारियों को राशन नहीं दिया गया। पुछे जाने पर डीलर न्रे कहा कि वे लोग गाँव में नहीं थे। उसी प्रकार जनवरी 2020 में 94.90 क्विंटल राशन मिला लेकिन डीलर द्वारा 416 PH कार्डधारी में से मात्र 257 कार्डधारियों को ही राशन वितरण किया गया। शेष 159 कार्डधारियों को राशन वितरण नहीं किया गया। अंतोदय अन्न योजना अन्तर्गत कुल 49 कार्डधारियों के विरूद्ध मात्र 30 कार्डधारियों को दिसम्बर 2019 का राशन दिया गया। शेष 19 कार्डधारियों को राशन वितरण नहीं किया गया। उसी प्रकार जनवरी 2020 में भी अंतोदय अन्न योजना के कुल 49 कार्डधारियों के विरूद्ध मात्र 31 कार्डधारियों को राशन दिया गया। शेष 18 कार्डधारियों को राशन वितरण नहीं किया गया। फरवरी 2020 में PH एवं अन्त्योदय के लिए वितरण हेतु 88.65 क्विंटल राशन प्राप्त हुआ, जिसमें PH कार्डधारी 416 के विरूद्ध मात्र 300 PH कार्डधारियों को ही राशन दिया गया और अन्तोदय अन्न योजना के कार्डधारियों को राशन नहीं दिया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटपानी द्वारा जानकारी दी गयी कि मार्च 2020 से श्री तियु का राशन दुकान निलंबित कर दिया गया तथा माह फरवरी 2020 का अंतोदय कार्डधारियों का राशन वितरण नये डीलर द्वारा किया गया। दिनांक 24.08.2020 को सुनवाई के दौरान उपस्थित निम्नलिखित राशन कार्डधारी के राशन कार्ड का अवलोकन एवं उनसे राशन प्राप्ति के संबंध में पुछ–ताछ किया गया :– 1. जिंगी कुई के नाम से PH कार्ड निर्गत है जिसे लेकर उनके पुत्र पांडया तियु उपस्थित। उनके द्वारा बताया गया कि जिंगी कुई अभी	

जिंदा है। राशन कार्ड में दिसम्बर 2019 का खाद्यान्न 25 किलोंग्राम मिलने की प्रविष्टि किया गया है। श्री पांडया स्वीकार किए कि उन्हें खाद्यान्न मिला है। जनवरी 2020 का भी खाद्यान्न 25 किलोग्राम मिला है। फरवरी माह में भी राशन मिला है।

2. गंगी कुई अंतोदय कार्डधारी का पोता बाबुराम तियु, पिता तुरण तियु उपस्थित। राशन कार्ड में दिसम्बर 2019, जनवरी एवं फरवरी 2020 का खाद्यान्न वितरण का प्रविष्टी किया गया है। तीनों माह में 35–35 किलोग्राम खाद्यान्न मिला है। उपस्थित व्यक्ति का कहना था कि खाद्यान्न मिला होगा। उस समय वह कर्णटक में था। वह 20.05.2020 को वहाँ से लौटा है।
3. मनि सिंह तियु, पिता– ओनवरू तियु उपस्थित। PH कार्ड इनके नाम से ही बना है। दिसम्बर 2019, जनवरी एवं फरवरी 2020 में खाद्यान्न मिला है। उनकी पत्नी राशन ली है। कार्ड मे तीनों माह का 10–10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रविष्टि है।
4. PH कार्ड तुलसी कुई के नाम से निर्गत है। उनके पुत्र श्री डेबेन तियु उपस्थित। वह स्वयं राशन उठाने जाता है। दिसम्बर 2019, जनवरी एवं फरवरी 2020 में खाद्यान्न मिला है। कार्ड में तीनों माह का 30–30 किलोग्राम का खाद्यान्न प्रविष्टि है।
5. PH कार्ड द्रोपदी मुंडारी के नाम से निर्गत है। नायकी मुंडरी जो कार्डधारी के पति है उपस्थित। दिसम्बर 2019, जनवरी एवं फरवरी 2020 में 30–30 किलोग्राम खाद्यान्न मिला है। खाद्यान्न की प्रविष्टि कार्ड में दर्ज है।

सुनवाई के दौरान श्री जयदीप तिग्गा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा एवं सुश्री सुनिला खलको, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटपानी उपस्थित थे। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटपानी को निदेश दिया गया कि जिन लाभुक को माह दिसम्बर 2019, जनवरी एवं फरवरी 2020 का राशन डीलर द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया उनका सूची वे डीलर से प्राप्त कर लें और उन्हे आदेश निर्गत की तिथि से 03 (तीन) माह के अन्दर डीलर को उपलब्ध कराए गए आवंटन से ही राशन उपलब्ध कराएगें। क्योंकि डीलर को Taged कार्डधारियों की संख्या के अनुसार राशन उपलब्ध कराया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाएगें।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रति प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटपानी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को उपलब्ध कराए एवं प्रतिलिपि उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा तथा राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

15/9/2020

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।